मुकदमा संख्या :- 15/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज़ इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।
21.04.2025	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अप्रार्थी संख्या-3 व 5 को जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब अप्रार्थी संख्या-3 व 5 का बंद किया जाता है। बहस अंतिम अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि सरहद मौजा सांचौर के खेत खसरा संख्या-615 रकबा 0.38 हेक्टेयर में प्रार्थी की 0.1733 हैक्टेयर (1733/3800) हिस्सा भूमि खरीदशुदा कब्जाशुदा राजस्व रेकर्ड में दर्जशुदा आई हुई है, जिस पर प्रार्थी का वर्षों से लगातार कब्जा काश्तशुदा है प्रार्थी ने उक्त आराजी सन 2012 में खरीद की थी। उक्त आराजी में अप्रार्थी संख्या-1 लगायत 8 भी संयुक्त खातेदार है तथा उक्त आराजी सांचौर की सरहद में हाईवे है नये जाने वाली मुख्य सड़क पर मौजूद है अभी जमीनों के भाव काफी बढ़े हुए है। उक्त आराजी का राजस्व रेकर्ड में अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को सहमति बंटवारा किये जाने हेतु कई बार कहा गया लेकिन अप्रार्थीगण हमेशा बंटवारा करने से टालमटोल करते है	

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)
P.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.01 17:44:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की जारी हु...
	तथा सहमति से बंटवारा करने हेतु सहमत नहीं हो रहे हैं। चूंकि प्रार्थी अधिकतर गांव आलपुरा रहता है वहां पर कभी-कभी आता-जाता है। अन्य जमीनों के आगे ढाणी अप्रार्थीगण के बने हुए हैं कम मन में खोट पैदा हो गई है तथा प्रार्थी की मुख्य ख.नं. के पिछे की तरफ धकेलना चाहते हैं तथा मुख्य ख.नं. पर बेशकीमती जमीन अप्रार्थीगण रखना चाहते हैं तथा इसी नियत से अप्रार्थीगण बिना स्वीकृति के तथा बिना विधि सम्मत बंटवारा करवाए अप्रार्थीगण मुख्य ख.नं. से अप्रार्थी नं.-3 के फेवर करके अपने नाम से पट्टा विलेख (लीजडीड) लेना चाहते हैं जबकि उक्त आराजी का अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है तथा बिना बंटवारा किये अप्रार्थी नं.-3 को भी अन्य अप्रार्थीगण को लीज डीड जारी करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है ऐसी सूरत में अप्रार्थी नं.-3 को वैधानिक बंटवारा किये बगैर अन्य अप्रार्थीगण को लीज डीड जारी किये जाने से रोका जाना न्यायोचित है। उक्त आराजी राजस्व रेकर्ड में संयुक्त रूप से दर्ज है जिसका बंटवारा ख.नं. पर ख.नं. के पूरे समानुपात नियम से किया जाना न्यायोचित है लेकिन अप्रार्थीगण ऐसा	

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.01 17:04:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा संख्या : 15/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।
	नहीं कर बेशकीमती भूमि सारी ए.उ. पर लेकर प्रार्थी को पीछे धकेलना चाहते है जो विधि विरुद्ध है जबकि विधि अनुसार समानुपात रूप से बंटवारा किया जाना न्यायसंगत है चूंकि वास्तव आराजी मे प्रार्थी का 1733/3800 हिस्सा खरीदशुदा कब्जा काश्त शुदा होने से प्रथम दृष्टि में केस प्रार्थी के पक्ष मे है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के ही पक्ष मे ही है लेकिन अप्रार्थीगण विधिविरुद्ध तौर से प्रार्थी की बिना सहमति के बिना बंटवारा करवाये भूमि आवासीय संपरिवर्तित करवाकर मुख्य ए.उ. पर अप्रार्थी संख्या-3 के कृपालय है लोग बीच लेने पर तुले हुए है और यदि ऐसा कर दिया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसका आंकों मे आंकलन नहीं हो पायेगा तथा प्रार्थी को विभिन्न प्रकार के मुकदमात मे उलझना पड़ेगा ऐसी सूरत में अप्रार्थीगण को ऐसा कृत्य करने से रोका जाना न्यायहित में आवश्यक है अत: निवेदन है कि अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावे कि तरहद मौजा सांचौर के	

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर) P.T.O

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.01 17:04:57 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की जारी हुए
	खेत ख. सं. 615 रकबा 0.38 हैक्टेयर के आगे कोई बेचान, रहन या अन्य प्रकार से हस्तांतरण नहीं करे तथा वाद के निस्तारण तक राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखें। अप्रार्थीगण अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि है आवासीय निर्मित प्रयोजनार्थ के मुख्य है। वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा संख्या 615 रकबा 0.38 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी अमराराम के कब्जाकाश्त खरीदशुदा, खरीदशुदा मालिकाना की आई हुई है जिसमें प्रार्थी का कोई हक हकूक कब्जा नहीं है एवं सम्पूर्ण भूमि पर अप्रार्थी अमराराम का कब्जा उपभोग-उपभोग चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी के चारों तरफ पक्की दीवार व उस की चार दीवारी बनी हुई है एवं गेट लगा हुआ है तथा अन्दर रहवास पर अप्रार्थी का बना हुआ है तथा पक्का व शौचालय भी निर्मित है जो तारबंदीशुदा भूमि है जिसमें प्रार्थी का कभी कब्जा नहीं रहा। प्रार्थी हमेशा से लिए बाहर गांव पंजीयन रहा है। सम्पूर्ण भूमि पर अप्रार्थी अमराराम का कब्जा	

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.01 17:04:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा संख्या!-15/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।
	है तथा अमरराम ने हरड़ाराम के कभी कृषि बैचान नहीं की थी न ही मौके पर कब्जे का हस्तांतरण करवाया था जब मौके पर कब्जा भी हरड़ाराम ने प्राप्त नहीं किया था तथा न ही अमरराम ने हरड़ाराम से एक पाई पैसा प्रतिफल प्राप्त किया, क्योंकि कि कपटपूर्वक ढंग से बैचान की औपचारिकता पूर्ण की है जो कानून की दृष्टि से वैध नहीं है, क्योंकि मैं रजना कर कि नाम में धोखा करके हेतु कब्जा बैचाननामा करवा दिया, जबकि अप्रार्थी ने कभी प्रार्थी को कृषि बैचान नहीं की है न ही कब्जा दिया, न ही प्रतिफल की राशि प्राप्त की इस प्रकार प्रार्थी न्यायालय में कलीन हैंड नहीं आया है। इस प्रकार बैचान दस्तावेज अवैध व शून्य प्रभावी है। निर्णय कार्यवाही करने से विवाद-न्यायालय में भी प्रार्थी इस प्रकार अवैध व शून्य प्रभावी दस्तावेज से प्रार्थी को कोई हक हकूक हासिल नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज योग्य है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र आधारहीन, मनगढ़न्त एवं मिथ्या कथनों पर आधारित होने एवं श्रीमान के क्षेत्राधिकार का नहीं होने एवं अप्रार्थी वादग्रस्त	

(Sd.)

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.01 17:04:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की जारी हुए
	सम्पूर्ण भूमि का मालिकाना हक हकूक व कब्जा अपका - इकला जातेदार होने से मालिकाना हक के विरुद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रयोजनार्थ कोई भी आदेश करावें। मैंने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का मौके अवलोकन व अध्ययन किया गया अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अतः प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थी संख्या - 1 व 2 के विरुद्ध मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की जारी की जाती है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम नांदोर के स्थित खसरा नम्बर 615 रकबा 0.38 हैक्टेयर में किसी प्रकार का नया निर्माण कार्य नहीं करें। सम्पूर्ण भूमि में यथा स्थिति किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज की जाकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर, सांचोर (उपखण्ड अधिकारी, सांचोर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.01 17:04:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner